रू० 762 ची/ 126

पृ०सं० 1

RTI Register के क्र०सं० 67 पर पंजीकृत

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या–519 सू0अ0 / 26–2–2021
लखनऊ: दिनांक 4 फरवरी, 2021

जनसूचनाधिकारी,
राज्य मद्यनिषेध अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

श्री [redacted] के पत्र दिनांक 18.01.2021 द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना की मॉग की है, जो अनुदान प्रस्तावों को भारत सरकार की गाईडलाईंस के तहत साजिशन न भेजे जाने के संबंध में सूचना मॉगी है, को संलग्नको सहित जन सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आपको मूलरूप में अन्तरित किया जाता है कि कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समयान्तर्गत सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोक्त।

(पारस नाथ)
अनुभाग अधिकारी /
जनसूचनाधिकारी

संख्या व तददिनांक 19 सू०अ०/26-2-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री [redacted] को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में सूचना राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त करने का कष्ट करें।

2– प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग को रू0 10 /– का नोट सं0–33 डी 015521 को मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि धनराशि राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

प्र0अ0 समयान्तर्गत 12/2/21

आज्ञा से,

(पारस नाथ)
अनुभाग अधिकारी /
जनसूचनाधिकारी

fo-Yadav ji-RTI

यू.आ.डा/26.1.21
19 मु0आ0/2602-2021
(स्पीडपोस्ट)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

प्रारूप-2

जन सूचना अधिकारी,

कार्यालय— प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

1- आवेदक का पूरा नाम : [redacted]

2- पिता का नाम : [redacted]

3- पत्राचार/डाक का पता : [redacted]

4- ई –मेल पता : [redacted]

5- मोबाइल संख्या : [redacted]

6- मांगी गयी सूचना का ब्यौरा : अनुदान प्रस्तावों को भारत सरकार की गाईडलाईन्स के तहत शासन को भेजे जाने संबंधी प्रेषित पत्र दिनांक 18/12/2020 (03 पेज की छायाप्रति संलग्न हैं) पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना बिन्दुवार आख्या सहित सूचना देने की तिथि तक सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रदान करें :—

A. आपके कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त पत्र / प्रकरण के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें।

B. मेरे / उक्त पत्र पर सूचना देने के दिनांक तक की गई कार्यवाही की दैनिक कार्य प्रगति रिपोर्ट की सूचना साक्ष्य सहित दें।

C. मेरे / उक्त पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाहियों से सम्बंधित पत्रावलियों के संगत / सम्पूर्ण अभिलेखों की नोटशीट्स सहित सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

D. मेरे / उक्त पत्र आपके कार्यालय में किस तिथि को प्राप्त हुआ, साक्ष्य सहित बताएं।

E. मेरे / उक्त पत्र आपके कार्यालय में किस तिथि को पंजीकृत किया गया, साक्ष्य सहित बताएं।

F. मेरे / उक्त पत्र कब और किस अधिकारी / कर्मचारी के पास पहुंचा और उसके दुवारा उठाये गये कदम से सम्बधित सूचना साक्ष्य सहित दें।

G. मेरे / उक्त पत्र पर कराई गई जांच की रिपोर्ट की सत्यापित प्रति दें।

H. मेरे / उक्त पत्र पर कराई गई जांच से सम्बंधित पत्रावलियों के संगत / सम्पूर्ण अभिलेखों की नोटशीट्स सहित सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

I. मेरे / उक्त पत्र का निपटारा करके शिकायतकर्ता / आवेदनकर्ता को भेजे गये अंतिम निर्णय के आदेशो की आख्या सहित सत्यापित प्रतिलिपियाँ साक्ष्य सहित प्रदान करें।

J. आरटीआई अधिनियम के प्राविधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का मोबाईल न0, नाम, पदनाम व E- MAIL की सूचना प्रदान करें।

K. उक्त पत्र का सम्बन्ध यदि आपके कार्यालय से नहीं होने के कारण किसी अन्य सरकारी कार्यालय से हो तो , उसको अंतरित किये जाने के आदेश की सत्यापित प्रति प्रदान करें।

L. यदि उपरोक्त बिंदुओं की सूचना आपके कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो आरटीआई एक्ट की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए निर्धारित समयावधि 5 दिन के अन्दर आर0टी0आई0 आवेदन को सम्बंधित विभाग को अंतरित करें और अंतरण पत्र / पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ मुझे भी प्रदान करें।

7 क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बंधित है : नहीं

8 जमा की गयी फीस का ब्यौरा : सूचना पाने हेतु 10/- रूपया का नोट संख्या 33D 015521 संलग्न है ।

[redacted]

स्थान :- लखनऊ

दिनांक :- 18/01/2021

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

सेवा में,

श्री बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय- क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी, जलज मिश्रा व स्वंयसेवी संस्थाओं की आपसी सांठगांठ के तहत अनुदान प्रस्तावों को भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक साजिशन समय से न भेजे जाने के विरुद्ध शिकायती पत्र।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में सूचित करना है कि आपके अधीनस्थ जलज मिश्रा, क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी लखनऊ तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आपसी साठगांठ के तहत भारत सरकार से अनुदान की प्रथम किश्त रिलीज कराने के लिये साजिश भरी चालें चली गयीं हैं।

श्रीमान जी के संज्ञान में लाना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी संस्थाओं को मई 2020 तक अनुदान प्रस्ताव वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाने चाहिये थे, जिसके पश्चात क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वे 01 माह के भीतर उन सभी संस्थाओं की स्थलीय जांच करते हुये नियमानुसार शासन स्तर पर उन सभी प्रस्तावों को अग्रसारित करते। माह नवम्बर 2020 तक इनके द्वारा केन्द्रों की जांच नहीं की गयी और हार्डकापी न होने का बहाना करते रहे और प्रस्ताव की हार्डकापी लेने का कोई प्रयास नहीं किया।

श्रीमान जी परन्तु यहां पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया लखनऊ के क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी जलज मिश्रा द्वारा नहीं अपनायी गयी जो कि घोर आपत्तिजनक के साथ-साथ जांच का विषय भी बनता है।

श्रीमान जी यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसका तत्काल पर्दाफाश होना नितांत जरूरी हो गया है।

श्रीमान जी उपरोक्त दर्शायी जा रही षड़यंत्रकारी चालों को देखते हुये आपके स्तर से भारत सरकार का करोड़ों रुपया इनके हाथों में जाने से रोकने के लिये तत्काल भारत सरकार को भी सचेत किये जाने की घोर आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इससे पूर्व भी सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई का नशामुक्ति केन्द्र को भी अनुदान स्वीकृत हो गया था, जोकि जिलाधिकारी की जांच में फर्जी चलता पाया गया। उसका भी अनुदान जलज मिश्रा की जांच में मिल गया था।

18/01/2021

संज्ञान में लाना है कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा समय से अपनी जांच रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं भेजी जाती है तो भारत सरकार ऐसी स्थिति में संस्थाओं को अनुदान अवमुक्त कर देती है। महज इसी के मद्देनजर क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी व संस्थाओं द्वारा इस घोटाले को आपसी साठगांठ के तहत अंजाम दिया जाता है, ताकि अनुदान की किश्त जिलाधिकारी के माध्यम से बिना किसी जांच के उन्हें मिल जाय और यह सभी लोग मिलकर उसमें हिस्सा बांट सकें। ऐसी स्थिति में जनता की गाढ़ी कमाई का वृहद् स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है और संस्थाओं द्वारा जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जिससे लोग नशा मुक्त होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त दर्शायी गयी परिस्थितियों/षड़यंत्रों का स्वतः संज्ञान लेते हुए जलज मिश्रा, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ तथा संस्थाओं के क्रियाकलापों की उच्च स्तरीय जांच कराते हुये करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल सभी कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

18/12/2020

[redacted]

मोबाइल [redacted]

18/01/2021